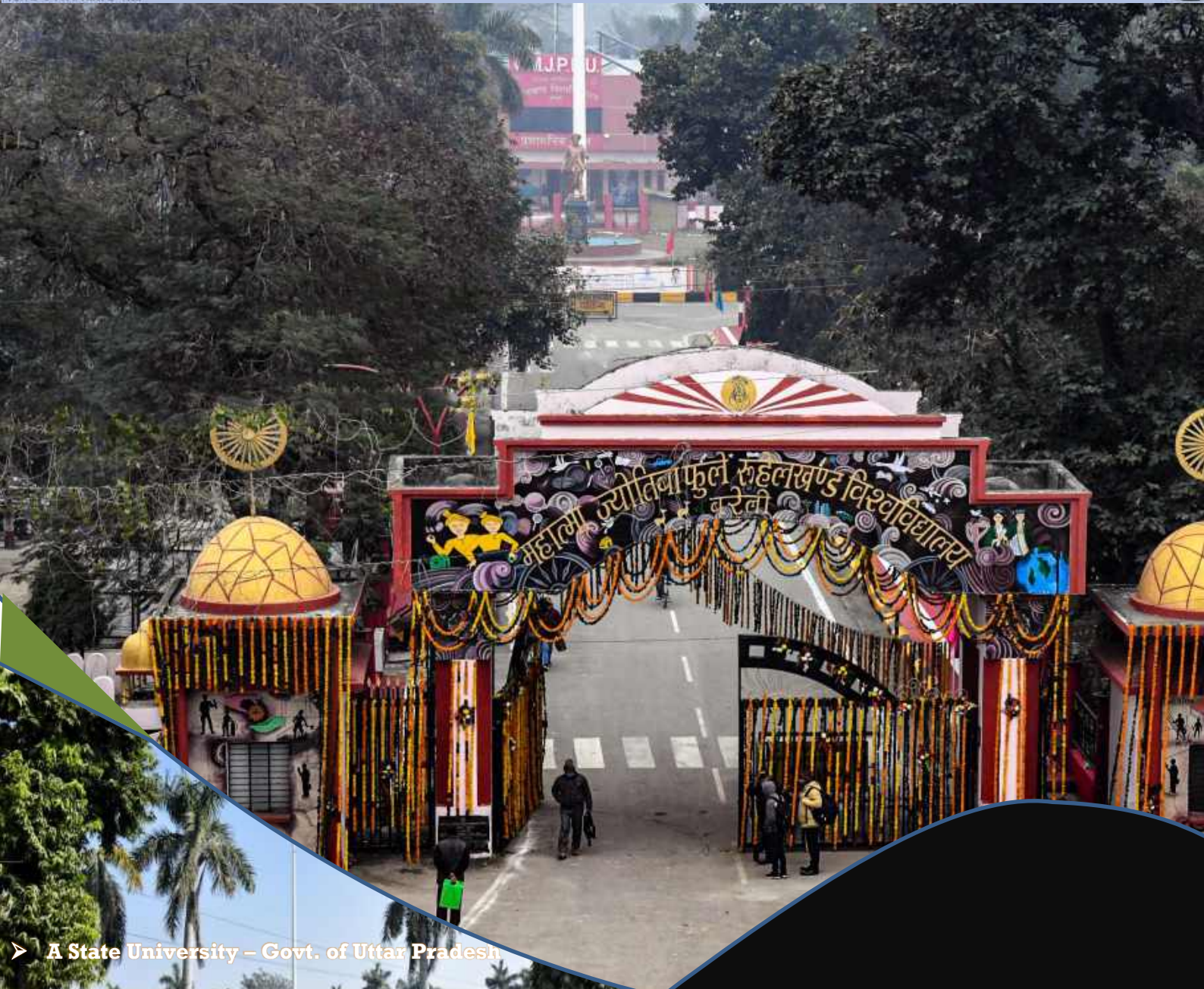




Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय

A State Public University-Government of Uttar Pradesh, India; NAAC A++ Accredited; UGC Category-I University



- A State University – Govt. of Uttar Pradesh
- NAAC A++ Accredited
- U.G.C. Category “ONE” University
- ISO 9001:2015 & 140001: 2015 Certified

Pravesh Niyamawali

2025-26



संदेश

शिक्षा मानव जीवन को किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली रूप से बदल सकती है। युगों से, भारत को ज्ञान समाज बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति के रूप में, मैं इसे अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय परिसर में ज्ञान वर्द्धन करने और प्रसारित करने और चरैवेति चरैवेति, के आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें। चाहे आप छात्र हों, पूर्व के छात्र हो, संकाय सदस्य हों या कर्मचारी हों, उत्तर प्रदेश या भारत के नागरिक हों, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू) आपका है। एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय परिसर के अर्न्तगत संचालित विभागों और संबद्ध कॉलेजों का एक समूह है, जो रुहेलखंड के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें नौ जनपद शामिल हैं, बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इस प्रकार क्षेत्रवार के दृष्टिकोण से यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। उत्कृष्टता के लिए पैतालीस वर्षों की प्रतिबद्धता, जिसमें लगभग 587 कॉलेज और संस्थान शामिल हैं, ने हमें देश के सबसे कुशल और सम्मानित विश्वविद्यालयों में से एक स्थान दिलाया है। हमारे कुछ संबद्ध कॉलेजों में अकादमिक उत्कृष्टता की 150 से अधिक वर्षों की विरासत है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय NAAC Accreditation में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक है एवं UGC द्वारा भी इसे कैटेगरी-1 विश्वविद्यालय घोषित किया गया है जो इस विश्वविद्यालय की उत्तम शिक्षा एवं शोध की गतिविधियों को स्वयं प्रमाणित करता है।



मेरा मानना है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को उसके यहाँ अध्ययनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से जाना जाता है जो वह प्रदान करता है और मैं इसे 2,00,000 से अधिक नए, पूर्व छात्रों और हर साल कुल 5,00,000 से अधिक छात्रों के जीवन को बदलकर मानव पूंजी के निर्माण के मिशन के रूप में लेता हूँ जो नामांकन कराते हैं। विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वे अभिनव, विविध, विश्व स्तर पर सम्मानित नागरिकों और भविष्य के नेताओं के रूप में चमकें एवं हमारे नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करें और दूसरों को समृद्ध बनाने और असंख्य विद्याओं से जनता की भलाई में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

मेरा मानना है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को उसके यहाँ अध्ययनरत छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से जाना जाता है जो वह प्रदान करता है और मैं इसे 2,00,000 से अधिक नए, पूर्व छात्रों और हर साल कुल 5,00,000 से अधिक छात्रों के जीवन को बदलकर मानव पूंजी के निर्माण के मिशन के रूप में लेता हूँ जो नामांकन कराते हैं। विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में इन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वे अभिनव, विविध, विश्व स्तर पर सम्मानित नागरिकों और भविष्य के नेताओं के रूप में चमकें एवं हमारे नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करें और दूसरों को समृद्ध बनाने और असंख्य विद्याओं से जनता की भलाई में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय न केवल विचारों में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्म में भी भारतीय होने के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और मानव अधिकारों के सतत विकास और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करने वाले स्वभाव का परिचायक है जो अतंतः भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।

एमजेपीआरयू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) प्रणाली का क्रियान्वयन और निष्पादन सफलता पूर्वक कर रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक छात्र को सीखने के व्यापक अनुभव और अच्छे भौतिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए एक सुरक्षित और ज्ञान वर्धक अधिगम का माहौल प्राप्त हो। हमारा लक्ष्य न केवल इन गुणों को प्राप्त करना है बल्कि देश और विदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को एक उच्च स्थान प्राप्त कराना है। यह दृष्टिकोण एमजेपीआरयू को शिक्षण अनुसंधान, विस्तार, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव में उत्कृष्टता के नए स्तरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। हम 21 वीं सदी में एमजेपीआरयू को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉडल बनाने की योजना बना रहे हैं।

एमजेपीआरयू में आपकी सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें आपके शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने का मौका मिलने में हर्ष है।

प्रो. के. पी. सिंह

कुलपति

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली।



विषय सूची

1. महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, एक संक्षिप्त परिचय	03
2. महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, मिशन एवं विजन	03 – 04
3. संकलित शासनादेश।	05 – 11
4. प्रवेश नियमावली (2025–26)	12 – 23
5. माध्यमिक शिक्षा संस्थानों की सूची	24 – 28



महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली की स्थापना 1975 में एक संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। 1985 में इसकी स्थिति को संबद्ध-सह-आवासीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया था तथा परिसर में चार शैक्षणिक विभाग स्थापित किए गए। 1987 में तीन और विभाग जोड़े गए। अगस्त 1997 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कर दिया गया। विश्वविद्यालय ने विकास योजना का एक समग्र परिप्रेक्ष्य लिया है और इस तरह अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विज्ञान, शिक्षा और संबद्ध विज्ञान आदि के नए संकायों को शामिल करके विश्वविद्यालय की स्थिति को सुदृढ़ किया है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्न संकाय हैं:-

- उन्नत सामाजिक विज्ञान विज्ञान
- शिक्षा
- कृषि
- शिक्षा और संबद्ध विज्ञान
- कला
- वाणिज्य
- विज्ञान
- आयुर्वेद विज्ञान
- आयुर्विज्ञान
- दंत चिकित्सा विज्ञान
- आयुर्वेदा एवं युनानी
- अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
- विधि
- प्रबंधन
- अनुप्रयुक्त विज्ञान

विश्वविद्यालय का मुख्यालय बरेली जनपद में स्थित है। जिसका अधिकार क्षेत्र बरेली मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जनपद तक है। विश्वविद्यालय परिसर 206 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। परिसर में प्रशासनिक भवन संकाय भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, अटल सभागार, छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, कुलपति आवास और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, संकाय सदस्य गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए स्टाफ क्वार्टर, अतिथि गृह और खेल परिसर है। यहाँ एक चिकित्सा केंद्र भी है। मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ संकाय सदस्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाएं चला रहे हैं और अब तक यूजीसी, एआईसीटीई, डीएसटी, सीएसटीयूपी, आईसीएआर, आईसीएचआर, एमआईएफ इत्यादि द्वारा वित्त पोषित 150 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। संबद्ध कॉलेज के शिक्षक भी उपरोक्त एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के अनुरूप परिसर के विभिन्न विभागों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए स्वयं को उन्नत किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का मिशन एवं विजन है-

- उच्च शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देना जिसे यह एक लोकतांत्रिक अधिकार मानता है।
- सीखने, सिखाने और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।
- रचनात्मक क्षमता का एहसास कराना और इसके सभी सदस्य की कल्पना को प्रज्वलित करना।
- समाजिक दायित्वों का निर्वहन

नजरिया (Vision)

- नई शताब्दी ने विश्वविद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाए यह सीखनेवाले समाज और ज्ञान एवं अर्थव्यवस्था दोनों में महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में ख्याति प्राप्त करे।



- उदारवादी शैक्षणिक संस्कृति सुदृढ़ करते हुए भविष्य के सामाजिक पर निर्भर करने वाले कट्टरपंथी विचारों एवं विशेषज्ञों के ज्ञान का विकास करना।
- शिक्षण और अनुसंधान में उच्च मानकों की रक्षा करते हुए उच्च शिक्षा में आजीवन भागीदारी के लिए एक लोकतांत्रिक अधिकार स्थापित करना।
- विश्वविद्यालय नवाचार का प्रवर्तक और परंपरा का रक्षक दोनों हैं। नए कौशल को ढालना और नई सामाजिक पहचान को आकार देना।
- रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के आधार पर अपनी छात्र संख्या एवं उसकी विविधता में तथा समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के साथ इसके जुड़ाव की विविधता में एक वृहद विश्वविद्यालय है।
- रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने मिशन को पिछली भूमिकाओं के बजाय भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में परिभाषित करता है, और उक्तानुसार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
- रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान और एक शिक्षण संगठन है। जिसका विश्वास है कि ज्ञान नई शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लर्निंग कल्चर (Learning Culture)–

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय एक ऐसी अधिगम (Learning) की संस्कृति स्थापित करना चाहता है जिसमें उच्चतम गुणवत्ता के शिक्षण और अनुसंधान समान रूप से फलने-फूलने में सक्षम हों। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नवीनता और नवाचार के लिए उत्साह के साथ पारंपरिक शैक्षणिक मूल्यों के प्रति सम्मान को जोड़ना है।

यह ज्ञान की सार्वभौमिकता और अकादमिक विषयों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहले छात्र (Student First)–

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय छात्रों को अपने योजनाओं के केंद्र में रखता है। यह आंशिक रूप से एक लचीली लेकिन सुसंगत मॉड्यूलर प्रणाली के विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए एक कठोर और अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप अकादमिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्वपटल पर विश्वविद्यालय की स्थिति:–

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय अपने शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान की सार्वभौमिकता और मानव मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करके और अपने सभी छात्रों को एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान कर अन्यराष्ट्रों के साथ समन्वय स्थापित कर छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

यह इक्कीसवीं सदी में अपने छात्रों को वैश्विक कैरियर के लिए तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए भारत के बाहर विशेष रूप से एशिया और विकासशील देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ अपने वर्तमान सहयोगी संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ 227332

संख्या ई- 4681/जी०एस०
दिनांक : 11/06/2010

प्रेषक

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में.

कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय : विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया रिट पिटीशन संख्या-2830/2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2005 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-404/सत्तर-1-2006-17 (18)/05 दिनांक 28 मार्च, 2006 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(3) में यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिये कॉलेज के प्राचार्य या प्रबंधक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेंगे।

इस क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-61 (घ) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो यह अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.09.2005 एवं शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध / सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित किया जाये।

भवदीय

कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता



प्रेषक

राजीव कुमार, सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में.

1-कुलपति, समरत राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।2-निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 28 मार्च, 2006

विषय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-2830 (एम एस) / 2004 डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद बनाम सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सदर, फैजाबाद व अन्य में पारित. आदेश दिनांक 22.9.2006 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं

- (1) प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात न तो विश्वविद्यालय और न ही उससे सम्बद्ध या सहयुक्त कालेजों को किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने का कोई अधिकार है और यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रवेश दिया गया है तो ऐसे प्रवेश निरस्त करने होंगे और ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात किसी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति न दी जाय।
- (2) प्रवेश के अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद और उसके पश्चात 15 दिन के भीतर सम्बद्ध, सहयुक्त कॉलेज या संस्थाएँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अभिलेख के लिए भेजेगी। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी जिनके नाम इस सूची में होंगे।
- (3) यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिए कॉलेज के प्राचार्य या प्रबन्धक, जेसी स्थिति हो, आपराधिक रूप में अभियोजित किये जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधान व श्री कुलाधिपति के प्रपत्र के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही का आधार भी होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश करने पर वैसी ही कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलपति या सक्षम अधिकारी के विरुद्ध भी की जा सकती है।
- (4) सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य या प्रबन्धक ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे जिनको प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् या विषय में स्वीकृत संख्या से अधिक या बिना मान्यता प्राप्त विषय में प्रवेश दिया गया है। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिपत्र के विरुद्ध किया गया कार्य सम्बन्धित संस्था को मान्यता विहीन करने और प्राचार्य एवं मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही का आधार होगा। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिचित्र का अतिक्रमण संस्था के प्राचार्य को बृहद् दण्ड देने का आधार भी हो सकता है।
- (5) विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अपराध बनने पर भी प्राचार्य एवं कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को आपराधिक रूप में अभियोजित किया जा सकता है 12 कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों का भी तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। 3 में निर्देश भी कुलाधिपति जी के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
सचिव।



प्रेषक

बीबी सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक
उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2015

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

विषय:- राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु समय-समय पर कई शासनादेश जारी किये गये हैं। रिट याचिका संख्या 729 (एस.बी.) / 2012 डा० सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 4236/2014 वैभय मणि त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में राज्य विश्वविद्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें और महाविद्यालयों में आधार भूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता को भी आधार माना जाय।

1. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 729 (एस.बी.)/2012 डा० सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 750/सतार-1-2013-10(20)/2011 दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अधीन ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को निर्गत किये गये हैं।
2. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सीट से अधिक प्रवेश लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों के विपरीत हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।
 - i. प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विषय में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिये जायें। विषयवार स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-28 (4) का उल्लंघन है अतः और अधिक संख्या में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उक्त अधिनियम की धारा 28 (6) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य होंगे।
 - ii. प्रत्येक वर्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों को पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित की जायेगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में पाठ्यक्रम व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी ताकि जनसामान्य को यह सूचना उपलब्ध रहे।
 - iii. महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षण कक्ष, शिक्षकों की संख्या आदि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करते समय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये विषयवार सीटों का निर्धारण किया जायेगा और संबंधित महाविद्यालय को यथाशीघ्र सूचित करते हुये जनसामान्य के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित की जायेगी।
 - iv. पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सीटों की संख्या निर्धारित करते समय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात के निर्धारित मानक का अनुपालन किया जायेगा, जो वर्तमान में 160 है, तथा जिसे 1:80 तक कुलपति की अनुमति से शिक्षण सत्र हेतु नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।



- v. प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया की दिन-प्रतिदिन के आधार पर गहनता पूर्वक समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक महाविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह भरीगयी एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा कुल पाठ्यक्रमवार व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या, उसके सापेक्ष दिये गये प्रवेश तथा रिक्त सीटों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जनसामान्य के अवलोकनार्थ अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। प्रवेश के अंतिम दिन से पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार प्रवेशित छात्रों की सूची उनकी मेरिट के अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- vi. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित करे जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार स्वीकृत छात्र संख्या के तहत भर्ती किये गये छात्रों को ही परीक्षा प्रपत्र स्वीकार किये जाएं और केवल उन्हीं छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।
- vii. जो महाविद्यालय उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उनका सम्बन्धीकरण/मान्यता राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(B) निरस्त करने की कार्यवाही पर भी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाय।
- viii. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमवार व विषयवार शिक्षकों के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तावों कानिस्तारण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर अवश्य कर दिया जाए, ताकि पठन-पाठन के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(बी० बी० सिंह)
विशेष राचिव।

संख्या-421 (1)/ सत्तर 2015 तददिनांक

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
2. कुलपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेशको इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश संबंधित जनपदों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित करते हुये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश किउक्त शासनादेश की प्रतिभागीय वेबसाइट पर आज अपलोड करते हुये समस्त संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें
4. निजी सचिव, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासनको सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल

भवदीय

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव



उत्तर प्रदेश सरकार
उच्च शिक्षा अनुभाग -2
संख्या - 1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79
लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2010
अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 2006) की धारा 4 केअधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थानों से निम्न शैक्षणिक संस्थानों जिसके अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी है चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षिक वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहणके सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर

निम्नलिखित स्तर पर आरक्षण की व्यस्था है:-

- (क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक माध्यक्रमवार समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
 (ख) अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समता सीटों का 2 प्रतिशत
 (ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
 अभ्यर्थियों के लिए

रिट पिटीशन संख्या 2160 (एन०/बी०)/2009 ऊषा एजुकेशनल इंस्टिट्यूट बनाम राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शिक्षण संस्थानों में लागू किये जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगन आदेश को अपरास्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2. अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23सन 2006 की धारा 12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथामा० उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों के सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किए जाने का आदेश प्रदान करते हैं:-

(क)	स्वातंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
(ख)	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंगसमस्तरक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
(ग)	शारीरिक रूप से निशक्तजनों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
(घ)	महिलाओं के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

उपरोक्त प्रत्येक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे यह सम्बंधित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अंतर्गत



चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रवेश सीट पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा, उदाहरण के लिए यदि महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति की है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी। प्रदेश सीटों पर चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सके तो यह सीटें उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

3. यदि उक्त प्रस्तर 1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उस श्रेणी से सम्बंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
4. यदि प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बंधित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
5. यदि प्रस्तर 1 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तर-3 या 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
6. यदि उक्त प्रस्तर में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि यह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बने रहना चाहता है तो उसे उक्त प्रस्तर के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।
7. उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व किसी शैक्षणिक वर्ष में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय का होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था हेतु उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन अधिनियम की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

भवदीय,

सचिव

संख्या – 1191 (1) सार-2-2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव
2. कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर
5. सचिव, बार कौंसिलऑफ इंडिया, 21, साउथ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
7. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी० एड० -2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
8. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
10. अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा नगर, लखनऊ
11. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डॉ रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव



उत्तर प्रदेश सरकार
उच्च शिक्षा अनुभाग - 2
संख्या - 1483/सत्तर-2-2010-3 (58)/79
लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2010
अधिसूचना
आदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के आदेश संख्या 1191/सत्तर-2-2010-3 (58) /79 दिनांक 11 जून, 2010 के प्रस्तर-2 के निम्न अंशों को संशोधित करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अनुमति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत	(घ) महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत
यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी ।	यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति नहीं की जाएगी बल्कि सामान्य श्रेणी में की जाएगी ।

(विमल किशोर गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या 1483/सत्तर-2-2018 तददनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।
2. कुलपति/कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शांति पथ तिलक नगर जयपुर।
5. सचिव बार कौंसिल ऑफ इंडिया, 21, साउथ एक्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-2।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अविकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी० ए० -2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा मंत्री।
10. अपर सचिव राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ।
11. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

(डॉ रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव



महात्मा ज्योतिबा फल रुहलखण्ड विश्वविद्यालय, बरलो
प्रवेश नियमावली (परिसर एवं महाविद्यालयों के लिए)
शैक्षणिक सत्र 2025-26

खण्ड 'क'

1. (क) विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों की सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश समर्थ पोर्टल/राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय केंद्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।
 (ख) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) एवं उक्त के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप ही होंगी एवं स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे। परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे।
2. यदि प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि समाप्त होने के पश्चात भी कुछ छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हो पाता है तो तत्समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में ऐसे छात्र/छात्राओं को अस्थाई-प्रवेश, स्पाट रजिस्ट्रेशन/काउन्सलिंग के माध्यम से उन महाविद्यालयों में, जहाँ सीटें रिक्त हो, किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रक्रिया समस्त छात्रों को चाहे वह किसी भी विश्वविद्यालय के हो के लिये अनुमन्य होगी। स्पाट रजिस्ट्रेशन/काउन्सलिंग की समाप्ति पर छात्र/छात्राओं को प्रत्येक दशा में 04 सप्ताह के भीतर अपना परीक्षाफल महाविद्यालय में जमा कराना होगा। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं से एक शपथ-पत्र/वचन-पत्र (Affidavit/Undertaking) भी जमा कराया जाएगा कि प्रदान किया गया प्रोवीजनल प्रवेश पूरी तरह से उनके परीक्षाफल पर निर्भर होगा एवं छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
3. अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अपने विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्राप्त कर जमा कराने हेतु 04 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा, तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा छात्रों के माईग्रेशन की पठनीय प्रति छात्रों के प्रवेश पंजीकरण फार्म के साथ डिजिटल फार्म में अपलोड कराते हुए उसकी मूल प्रति आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को प्राप्त कराई जाएगी। अपलोड की गई माईग्रेशन की डिजिटल प्रति के आधार पर छात्रों को नामांकन आवंटित किया जाना उचित होगा परन्तु महाविद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि माईग्रेशन की मूल प्रति को विश्वविद्यालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की स्थिति में छात्र का नामांकन स्थगित रखा जाएगा।
4. ऐसे महाविद्यालय, जिनके पास छात्रों के प्रवेश पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वे नियमानुसार विश्वसनीय कैफे संचालकों को empanel कर महाविद्यालय परिसर में स्थान प्रदान करते हुए प्रवेश पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के पंजीकरण फॉर्म पर उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी ही अंकित हो, ताकि छात्रों को समय-समय पर आवश्यक सूचनाएँ प्रदान की जा सकें। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भरे हुए प्रवेश पंजीकरण फॉर्मों की जाँच और उनमें त्रुटियों को दूर करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय इन फॉर्मों की आवश्यक जाँच कर उन्हें प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को अग्रसारित करेगा। तत्पश्चात, किसी भी त्रुटि के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा।
5. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अहर्ता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी जैसा कि उल्लेख है।
6. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब यह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन पाठ्यक्रमों में बैक पेपर परीक्षा/पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमें अगली कक्षा में प्रवेश सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार होगा।



- (ख) 3 (क) के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।
- (ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।
4. (क) परीक्षार्थी को बी.ए., बी.एससी., बी कॉम(सेमेस्टर सिस्टम) बी.बी.ए., बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में एम.ए./एम.एससी./एल.एल.एम./एम.बी.ए. पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी.एससी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा अधिकतम 08 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी पाठ्यक्रम की अवधि का अधिकतम दो गुने वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो। यह नियम व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगा।
- (ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक ये परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी।
6. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा उक्त पाठ्यक्रम के अध्यादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न होगी।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रदिनांक 30.09.2022 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है यथा कोई भी छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक पाठ्यक्रम नियमित प्रकृति का होगा एवं दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन/व्यक्तिगत मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
- (ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी.एड./बी.पी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में अभ्यर्थी का नामांकन विश्वविद्यालय में निष्क्रिय रहेगा।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा—
- (क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड आफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
- (ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।
- (ग) यह नियम स्नातकोत्तर, एम.बी.ए., विधि एवं अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
- (घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।



10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब-ए-माहिर/अदीब-ए-कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
 - (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 - (ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु यह संस्थागत छात्र नहीं माना जायेगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।
11. शासनादेश सं० 07/2016/720/15-7-2016 शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माना गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। परन्तु जो पाठ्यक्रम BCI/AICTE/NCTE/PCI/MCI आदि के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं उन पाठ्यक्रमों हेतु उक्त वर्णित संस्थाओं में रेग्युलेटरी बाडी के द्वारा प्रदत्त नियम मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
13. बी.एड./एम.एड./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक/बी.पी.एड./बी.एल.एड.व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों से होंगे, जब तक कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया या नियम निर्धारित न करें।
14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक यह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
15. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उक्त छात्र को नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि इच्छुक हो, तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।
17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता-प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण पत्र सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।
18. एम.एससी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होंगे—
 - (क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
 - (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एससी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो),



अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात् उनके लिये 40 प्रतिशत होगा।

(ग) छात्र एम.एससी./एम.ए. में प्रवेश के लिये उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम वर्ष में एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) (i) एल.एल.बी. त्रिवर्षीय, एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बार काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा प्राविधानित नियम 'III Rules of Legal Education' के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतः सामान्य जाति हेतु 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।

(ii) प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(iii) बार काउन्सिल आफ इण्डिया (बी.सी.आई) द्वारा जारी चैप्टर-11 Standard of Professional Legal Education Rule 10' का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(च) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(छ) मास्टर आफ लॉ (एल.एल.एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये वे विद्यार्थी अर्ह होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय)/एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) डिग्री प्राप्त की हो। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

19. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ङ) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डा गद्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20 (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड और एम.एड के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

(ख) बी.एससी. कृषि के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट जीव विज्ञान (बायो ग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 अंक घटाकर किया जायेगा। स्पष्टीकरण गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर भी लागू होगी।



21. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी. काम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5 अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में न लेकर सहायक/गौण विषय के रूप में लिया है, को एम. काम, प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एससी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा।
22. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य है। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम और एम.ए, अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एससी. गणित और कम्प्यूटर साइंस में भी प्रवेश के लिये अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है. प्रवेश के लिए नॉन स्ट्रीम श्रेणी के अन्तर्गत अर्ह होंगे।
23. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये पात्र नहीं होंगे।
24. जिन विद्यार्थियों ने जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होंगे।
25. जिन अभ्यर्थियों ने यूपी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
26. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इंटर के समकक्ष मानते हुये स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
27. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है. ये कमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे।
स्पष्टीकरण—सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं आचार्य संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी. एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
28. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिये नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपनी ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक यह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
30. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रक्रिया को अनुमत न किया गया हो।
एलएल.बी. एवं एम.एड. पाठ्यक्रमों में राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय कैम्पस में प्रवेश, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराये जायेंगे। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑन-लाइन पंजीकरण के माध्यम से, मेरिट के आधार पर अनुमन्य कराये जायेंगे।
31. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आवश्यकतानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रणाली से करायी जायेगी इसकी अधिसूचना (Notification) पृथक से जारी की जायेगी।
32. प्रवेश समिति दिनांक 05.03.2002 के बिन्दु संख्या (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है, **“सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं। उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।”**



33. AIU से मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं बी.टेक., एवं बी. फार्मा उत्तीर्ण छात्र एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं।
34. विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएच. डी. के छात्र जो किसी कारण से एक कोर्स वर्क में शामिल नहीं हो सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें अगले कोर्स वर्क में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा।
35. बी.काम, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वही नियम लागू होंगे जो कि सामान्य बी.काम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित है।

36. उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2418/सत्तर-3-2023-09(01)/2022(स4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के अनुरूप शासन द्वारा तैयार Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) की नीति को विश्वविद्यालय द्वारा कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 से लागू कर दिया गया है।

त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे। चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को उपाधि प्रदान की जाएगी।

यदि छात्र द्वितीय/तृतीय वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित किया जाता है तो छात्र को तीन वर्ष में जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 क्रेडिट प्राप्त होंगे, उसी संकाय में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।

यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वविद्यालय माइनर पेपर / स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत किया जाएगा। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये प्रथम दो वर्षों में अधिकतम $6 \times 2 = 12$ क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये प्रथम तीन सेमेस्टर में अधिकतम $3 \times 3 = 9$ क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष Credit Transfer Policy 2024 तैयारी की गई एवं उक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक 2124/सत्तर-3-2024-08(19)/2022(L1) दिनांक 02 सितम्बर 2024 द्वारा जारी Online Course Mapping and Credit Transfer Policy को आत्मसात करते हुए सत्र 2024-25 से विश्वविद्यालय में प्रभावी कर दिया गया है।



यह नीति एम. जे. पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स के ट्रांसफर को नियंत्रित करेगी, चाहे वे विश्वविद्यालय में नामांकित रहते हुए अन्य शैक्षिक संस्थानों में (आउटवर्ड ट्रांसफर) ट्रांसफर करें या अन्य संस्थानों में अर्जित क्रेडिट्स को इस विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करें (इनवर्ड ट्रांसफर)। क्रेडिट ट्रांसफर निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है:-

1. पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व विश्वविद्यालय से छात्रों का निकास।
2. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों की लैटरल एंट्री।
3. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा माइनर पेपर/स्किल कोर्स UGC SWAYAM/NPTEL/ MOOCs या अन्य स्वीकृत प्लेटफार्म्स के माध्यम से अर्जित क्रेडिट।
4. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत स्टैंड-अलोन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जित करना।
5. विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ स्वीकृत एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भाग लेना।



खण्ड-ख

विशेष निर्देश

- धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
- उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 संख्या 1191/सत्तर-2-2010-3 (58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों / संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों / संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा—

(I) लम्बवत् आरक्षण :-

पिछड़ा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	समस्त सीटों का 02 प्रतिशत

(II) क्षैतिज आरक्षण :-

क स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
ग शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
घ महिलाओं के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग (दवदबतमंडल संलमत) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।
- शासनादेश संख्या 192/सत्तर-7-2019-बी.एड. (00)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी. दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होगी एवं 'EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभप्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शासनादेश संख्या 4004/15-11-88-31581/79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।
- शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति संतुष्ट हो, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।
- प्रवेश के लिये ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यतासूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।



9. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
10. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय की सूची सलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
11. प्रवेश हेतु तैयार की गयी मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे—

अ	(1)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक	10 अंक
	(2)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
ब		विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
स	(1)	एन.सी.सी. के 'सी' प्रमाण पत्र अथवा 'जी' प्रमाण पत्र	10 अंक
	(2)	'बी' और 'जी-1' प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
द	(1)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(2)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
य	(1)	12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाईड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(2)	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(3)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(4)	रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट— किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे।

12. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण—बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन सी टी ई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व. एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अंतिम वर्ष में जो विषय चुने गये हो। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) को सम्मिलित करते हुये योग्यता सूची तैयार की जायेगी

13. प्रत्येक वर्ग/विषय से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वाणिज्य संकाय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।
14. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिये बिना कारण बताये प्रवेश के लिये मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसके निरस्त कर सकते हैं।
15. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिये अर्ह नहीं होंगे।
16. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम के लिये आरक्षित होंगी। नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के



अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक के छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण छात्र नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत नहीं आयेगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो यह अमुक विषय के लिये स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम दोनों में मान्य नहीं होगा।

17. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो यह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
18. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिये जायें।
19. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिये छात्र कारणों का उल्लेख करते हुये दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। छात्रहित में समस्त महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रवेश स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, जिसमें छात्र द्वारा स्थानान्तरण हेतु समुचित कारण का उल्लेख किया गया होगा, पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेंगे। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उक्त आवेदन के 15 दिनों के पश्चात् भी प्रवेश स्थानान्तरण हेतु लिखित अनापत्ति प्रदान नहीं की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि महाविद्यालय को छात्र/छात्रा के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश स्थानान्तरण दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अथवा महाविद्यालय को अनापत्ति प्रदान न करने का समुचित कारण स्पष्ट करना होगा एवं विश्वविद्यालय इसकी समीक्षा करेगा एवं छात्रहित में उचित निर्णय लेगा, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना समस्त के लिये बाध्यकारी होगा। छात्र द्वारा प्रवेश के समय ही समस्त अभिलेख महाविद्यालयों में जमा किये जाते हैं। अतः स्थानान्तरण के समय छात्र को कोई भी प्रमाण-पत्र पुनः नवीन महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायेगा। सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या 04 की शर्त पूरी हो रही हो।

स्पष्टीकरण—यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्त उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होंगी।

20. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
21. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु कमश इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
22. महाविद्यालयों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
23. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और यह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है। तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि वह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है। तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
24. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त संख्या 04 पर लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू.पी.आर.टी.ओ.यू.), इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू.यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।



25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-5-1/2008 (सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
26. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिये निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात् यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य है तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होंगे।
27. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए. आई. यू से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अर्ह माना जाये।

खण्ड- 'ग'

विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम-

- 1) BBA- प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 2) BCA- इंटरमीडिएट की परीक्षा में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों हेतु न्यूनतम 50% एवं एससी/एसटी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। ऐसे छात्र जिनके पास 12 वीं कक्षा में गणित एक विषय के रूप में नहीं है, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में आवश्यक रूप से एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम (Elective Course) के रूप में गणित (BCA-401E) के लिए नामांकन कर उत्तीर्ण करना होगा।
- 3) B.Sc. Home Science प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 4) B.Sc. Bio Tech- प्रदेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 5) B.Sc- Microbiology- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रदेश के लिये अर्ह होगा।
- 6) B.Sc- (Computer Science)- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 7) M.S.W- स्नातक/परास्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
- 8) Advanced PGDCA-स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 2 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
- 9) MCA - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 10) B-Tech - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 11) MBA - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 12) BHM&CT - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 13) B- Pharm - PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।



- 14) M-Pharm- PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
- 15) Diploma in Design Commercial, Diplomain Comp- Application, Diploma in Yoga, Diploma in E-Commerce, Diploma in Env- Management, Diploma in Photography, Diploma in Fashion Design, PG Diploma in Office Management, PG Diploma in Modern Arabic, PG Diploma in Tourism&Travel Mgmt, PG Diploma in Bio Tech, Diploma in Interior Design दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 16) B.Lib.— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक/स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
- 17) M-Lib.— दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। B-Lib. स्नातक/M-Lib. स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।



BOARD OF SECONDARY EDUCATION :-

1. BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION (ANDHRA PRADESH), VIJAYAWADA, D. No. : 48-18-2/A, Nagarjunanagar Email: bie.andhra@ap.gov.in
2. BOARD OF SECONDARY EDUCATION (ANDHRA PRADESH), No. 20 -124, Beside SPNRCH High School, Opp. Andhra Hospitals, Gollapudi, Vijayawada – 521225 Website: www.bseap.org
3. A.P. OPEN SCHOOL SOCIETY Govt. of Andhra Pradesh, Opp. L.B. Stadium ‘E’ Gate, S.C.E.R.T Campus, III Floor Basheerbagh, Hyderabad.
4. ASSAM HIGHER SECONDARY EDUCATION COUNCIL, Bamunimaidam, Guwahati-781 021, Email: ahsec1@yahoo.com Website: www.ahsec.nic.in
5. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ASSAM, Bamunimaidam, Guwahati-781021, Website – www.sebaonline.org
6. ASSAM SANSKRIT BOARD, Kahilipara, Guwahati- 19, CHANGED NAME ITS IN 2017, NEW NAME : KUMAR BHASKAR VARMA SANSKRIT AND ANCIENT STUDIES UNIVERSITY www.kbvssun.ac.in
7. STATE MADRASSA EDUCATION BOARD, ASSAM, Govt. of Assam, Office of the Director of Madrasa Education & Secretary, State Madrasa Education Board, Assam, Kahilipara, Guwahati- 781019, www.smeb-assam.in
8. ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY BOARD OF SECONDARY & SR. SECONDARY EDUCATION, www.amu.ac.in
9. BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD, Budh Marg, Patna-800 001; Email: info@biharboardnet.in ; Website : www.biharboard.net.in,
10. BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING & EXAMINATION, Budh Marg , Patna-800001, Website: www.bbosebihar.ac Email: info@bbosebihar.ac,
11. BIHAR STATE MADRASA EDUCATION BOARD, 5, Vidyapati Marg, Patana-800 001; Website: www.bsmeb.org E-mail: info@bsmeb.org
12. BIHAR SANSKRIT SHIKSHA BOARD, Patna-800001 Email: info@bssbpatna.ac, www.bssbpatna.ac,
13. BANASTHALI VIDYAPITH, P.O. Banasthali Vidyapith-304022 www.banasthali.org ; E-mail: nfo@banasthali.ac.in
14. CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, 2, Community Centre, Shiksha Kendra, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092, Website: info.cbse@gov.in www.cbse.nic.in
15. CHHATISGARH BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Pension Bada, Raipur-492001; Fax : 0771-2424094, 2429385, www.cgbse.org Email: ds.cgbse@rediffmail.com
16. CHHATISGARH STATE OPEN SCHOOL, Besides UCO Bank, Pension Bada, Raipur – 492001 (C.G) www.cgsos.co.in Email: gsosraipur@gmail.com
17. CHHATTISGARH SANSKRIT BOARD, RAIPUR, New Rajendra Nagar, Near Water Tank, Chattisgarh, Raipur-492001 Fax : 0771- 4001733, www.csbraipur.org
18. CHHATTISGARH MADRASA BOARD, Old P H.Q. Premise, Near Raj Bhawan (C.G.) Raipur- 492001., E-mail: madarsacg@gmail.com <http://cgmadarsaboards.in/> Fax : 0771-4055708



19. COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS, Plot no. 35 & 36, M.B. Road, Sector VI, Pushp Vihar Saket, New Delhi-110001., Website: www.cisce.net
Email: council@cisce.net
- 19 (A). DELHI BOARD OF SENIOR SECONDARY EDUCATION, NEHRU PLACE , NEW DELHI – 110019 ,WEBSITE : www.delhiboard.org, E-mail : info@delhiboard.org
20. DAYALBAGH EDUCATIONAL INSTITUTE, (DEEMED UNIVERSITY) DAYALBAGH, AGRA-282 110; Fax : 0562-2801226 Website: www.dei.ac.in E-mail: dbei@sancharnet.in
- 21.(A) DELHI STATE OPEN SCHOOL, PREET VIHAR, DELHI – 110092 , WEBSITE : www.dsos.co.in E-mail : dsos.contact@gmail.com
21. (B) ICSE BOARD (INDIAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION / INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION , Pushp Vihar Saket, New Delhi-110001. WEBSITE : www.icseindia.in
22. GOA BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION, Alto Betim, Berdez Goa-403521 Fax : 0832-2414289 Tel: 0832-2417593, Website: www.gbshse.gov.in, E-mail: chairman-gbshse.goa@nic.in, secgbshse.goa@nic.in
23. GUJARAT SECONDARY AND HIGHER, SECONDARY EDUCATION BOARD, Sector 10/B Near Old Sachivalaya, Gandhinagar- 382010, Phone No: 079- 23220538, FAX: 23253828, Website: www.gseb.org E-mail: gshseb_gnr@yahoo.com
- 24 (A) . BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, Hansi Road, Bhiwani-127021, E-mail: adew@hbse.org.in Website: , ww.bseh.org.in
25. Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, (Deemed to be University) Haridwar -249404, Post Office – Gurukula Kangri, www.gkv.ac.in
26. H. P. BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Gayana Lok Parisar, Civil Lines, Dharamsala, Kangra(H.P) 176213, EPABX-229033-229037; Fax : 01892-222817 to 2225419, Website: www.hpbose.org E-mail: hpbose2011@gmail.com
27. The J & K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Rehari Colony, Jammu-180005 (Nov to Apr) Bemina, Bye Pass, Srinagar-190010 (May to Oct), PBX: 0194-2491179 (Srinagar), (PBX: 0191-2583494 (Jammu) Official website: www.jkbose.co.in
- 27 (A) . JAMMU AND KASHMIR STATE OPEN SCHOOL, Jammu-180001 (Nov to Apr), Srinagar-190010 (May to Oct), Official website: www.jksos.net, E-mail : contact@jksos.ac / contact.jksos@gmail.com
28. JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL,RANCHI, Gyandeep Campus, Bargawan,Namkum, Ranchi-834010., Tel.: 0651-6453342-45, Fax : 0651-2261999, Website: www.jac.nic.in,
29. GOVT. OF KARNATAKA DEPT. OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION, 18th Cross, Sampige Road Malleswaram, Banglore 560012. Fax: 080-23361852, Website: www.pue.kar.nic.in E-mail: , ommissioner.pue@gmail.com
30. KARNATAKA SECONDARY EDUCATION, EXAMINATION BOARD, 6TH Cross, Malleswaram, Bangalore-560003. Fax: 080-23347670, Website: www.kseeb.kar.nic.in E-mail: dpikseeb@gmail.com,
31. KERALA BOARD OF PUBLIC EXAMINATION , KERALA, PAREEKSHA BHAWAN, POOJAPURA, Thiruvananthapuram – 695012, Grams: Secretary Examination Thiruvananthapuram, KERALA, Email : info@kbpe.org Website : www.kbpe.org
32. KERALA BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, Housing Board Buildings, Santhi Nagar Thiruvananthapuram-695001, Fax : 0471-2320714,2338735, Website: dhsekerala.gov.in E-mail: jdexamdhse@gmail.com



33. BOARD OF VOCATIONAL HIGHER, SECONDARY EDUCATION, KERALA, Housing Board Buildings,, Thiruvananthapuram – 695001, 0471-2325318, Fax: 0471-2325323; Website: www.vhse.kerala.gov.in, Email : vhsedepartment@gmail.com
34. MAHARASHTRA STATE BOARD OF SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION, No. 832 A, Final Plot No. 178, 179 Near Balchitravani, Behind Agharkar Reserach, Institue, , hamburda, Shivajinagar, Pune-411004 Grams : MAHABOSEC PUNE Website: www.msbshe.ac.in, Email : chairman@msbshe.ac.in , secretary@msbshe.ac.in
35. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, Shivaji Nagar Bhopal-462011, Website: mpbse.nic.in E-mail: mpbse@mp.nic.in,
36. M.P. STATE OPEN SCHOOL EDUCATION BOARD, School Education Department Govt. of M.P. Shivaji Nagar, Bhopal- 462011 . (M. P.), Ph. 0755 – 2671066 Fax: 2552106, Website: www.mpsos.nic.in E-mail: mpsos@rediffmail.com
37. MAHARISHI PATANJALI SANSKRIT SANSTHAN, (Dept. Of School Education, Govt. Of M.P) R-24, Zone -1, M P Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462003, Website: www.mpsb.nic.in E-mail: , atanjalisansthan@yahoo.co.in; Fax: 0755-2576296
38. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MANIPUR, Babupara, Imphal-795001; Fax: 0385-2450889, 2226770, E-mail: mani_board@yahoo.co.in, www.bsem.nic.in
39. COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, MANIPUR, Babupara, Imphal-795001, , Phone No. 9436203535 E-mail: secy.cohsem-mn@nic.in, Website : www.cohsem.nic.in
40. MEGHALAYA BOARD OF SCHOOL EDUCATION, West Garo Hills, Tura, Meghalaya 794001, Fax: 03651-232874; Website : mbose.in, E-mail: mbose_tura@rediffmail.com,
41. MIZORAM BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Chaltlang , P.O Ramhlan Aizawl-796012, Website: www.mbse.edu.in E-mail: mbseoffice@gmail.com,
42. NAGALAND BOARD OF SCHOOL EDUCATION, Post Box 613, Kohima 797001; Fax 0370- 2260201, 2260502, Website: www.nbsenagaland.com E-mail: nagaboard@gmail.com,
43. NATIONAL INSTITUTE OF RURAL OPEN SCHOOLING, NEW DEHI, Website: www.niros.ac Email : info@niros.ac
- 43 (A). NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING, A-24-25, Institutional Area, Phase-8, NOIDA-201309(UP), Distt.-Gautam Budh Nagar(UP); Ph: 0120- 4089858 , help@nios.ac.in.help, Website: www.nios.ac.in / www.nios.ac.in.help
43. NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING, A-24-25, Institutional Area, Phase-8, NOIDA-201309(UP), Distt.-Gautam Budh Nagar(UP); Ph: 0120- 4089858, help@nios.ac.in.help, Website: www.nios.ac.in/www.nios.ac.in.help
44. COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, ODISHA, C-2 Prajnapitha, Samantapur, Bhubaneswar – 751013, E-mail – chseodisha@gmail.com, Website: www.chseodisha.nic.in
45. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, ODISHA, Bajrakabati Road, Cuttack-753001 Website: Website: www.bseodisha.nic.in , www.bseodisha.ac.in, E-mail: admin_bseodisha.od@nic.in , info_bseodisha.od@nic.in
46. PUNJAB SCHOOL EDUCATION BOARD, Vidya Bhawan , SAS Nagar, Phase – 8 , MO, ali 160059, Grams : PUNJAB BOARD SAS NAGAR , Fax – , 172 – 5227423 , 424 , 425 , E-mail : psebmohali@gmail.com E – mail : pseb@yahoo.ac.in Website : www.pseb.ac.in
47. BOARD OF SECONDARY EDUCATION RAJASTHAN, Jaipur Road, Ajmer 305001 (Rajasthan) PBX-0145-2632866-2632873, Fax : 0145-2227570, Website: rajeduboard.nic.in E-mail: secy-boser-rj@nic.in



48. RAJASTHAN STATE OPEN SCHOOL, JAIPUR, 2-2A, Jhalana Doongri Jaipur – 302004 (Rajsthan) Fax. 0141-2705067, Website: rsosapp.rajasthan.gov.in E-mail: rajasthansos@gmail.com,
49. CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, FORMERLY : RASHTRIYA SANSKRIT SA, STHAN, Deemed University 56-57, Institutional Area Janakpuri, New Delhi-110058 Email: rsks@nda.vsnl.net.in Website: sanskrit.nic.in
50. STATE BOARD OF SCHOOL EXAMINATIONS(SEC.) & BOARD OF, HIGHER SECONDARY EXAMINATIONS, TAMIL NADU, College Road, Chennai 600006. Website: www.dge1.tn.nic.in.help and www.tamilnadustateboard.org, E-mail: info@tamilnadustateboard.org /sbsebhse@gmail.com
51. TELANGANA STATE BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION,, NAMPALLY HYDERABAD-500001 Website : bie.tg.nic.in/ Phone No. 040-24603314,
52. BOARD OF SECONDARY EDUCATION, TELANGANA STATE, CHAPEL ROAD, NAMPALLY, HYDERABAD-500001, E-mail: info@bsetelanganagov.in /bsetinfo@gmail.com, Website : www.bsetelanganagov.in
53. TELANGANA OPEN SCHOOL SOCIETY, Government of Telangana, III Floor, Basheerbagh, Hyderabad-500001, Fax No. 040-23299568 E-mail: dirtoshyd@gmail.com, Website: www.telanganaopenschool.org
54. RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (RGUKT), Basar , Nirmal Distt. , Telangana State – 504107, , <https://www.rgukt.ac.in/>
55. TRIPURA BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Pandit Nehru Complex (Gurkha Basti), P.O. Kunjaban, Agartala-799006, Tripura West, Website: tbse.in E-mail: tbse2009@rediff.com,
56. U.P. BOARD OF HIGH SCHOOL & INTERMEDIATE EDUCATION, New Office : Sarojini Naidu Marg Allahabad –211001.Grams:, INTERMEDIATE ALLAHABAD, (Lucknow) E-mail: upmsp@rediffmail.com www.upmsp.edu.in
57. U.P. Board of SEC. SANSKRIT EDUCATION, NEW OFFICE -9 , SAROJANI NAIDU MARG ,PRAYAGRAJ , UTTAR PRADESH – PIN CODE 211001, OLD OFFICE : SANSKRIT BHAWAN , 2 SHAMEENA ROAD, LUCKNOW, Email: upboardsse@gmail.com Website : www.upsanskritboard.in
58. BOARD OF SCHOOL EDUCATION UTTARAKHAND, Ram Nagar, Nainital-244715 EPABX-05947-254275.Fax: 05947-255021., E-mail-eduua@yahoo.co.in, Secyubse@yahoo.com, www.ubse.uk.gov.in
- 59.UTTRAKHAND SANSKRIT, SHIKSHA PARISHAD, Gangotari Enclave, Badripur Road, Indrapur, Dehradun-248001 (Uttarakhand), E-mail :- ssnuk2011@gmail.com, Website: www.sanskriteducation.uk.gov.in
60. UTTRAKHAND MADRASA EDUCATION BOARD, SHIKSHA PARISHAD, Minority Welfare Building, B- Block,, Shaheed Bhagat Singh Colony,, Adhoiwala, Dehradun-248001 (Uttarakhand) Web : www.ukmadarsaboard.org.in Email: ukmadarsaboard@gmail.com
61. WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, Nivedita Bhawan, Block DJ-8, Sect. II, Salt Lake City, Kolkatta-700091,, Fax no. 033- 2321-3812, Telefax: 033 -2321-3812., Website: www.wbchse.nic.in E-mail:- wbbse05@yahoo.co.in, ds.acad.wbbse@gmail.com
62. WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION, Vidya Sagar Bhavan,9/2,D.J.Block, Sector-II,Salt Lake, Kolkata 700091., Website: wbchse.nic.in E-mail: wbcouncil_hse@vsnl.net.in,



63. WEST BENGAL BOARD OF MADRASAH EDUCATION, Begum Rokaiya Bhavan 19 Haji Md. Mohsin Square, Kolkata – 700016., Fax: 033-22497774/22497773, Email: president-wbbme@yahoo.com, wbcchse@gmail.com Website: www.wbbme.org
64. THE WEST BENGAL COUNCIL OF RABINDRA OPEN SCHOOLING, Bikash Bhavan (2nd floor, East Block) Bidhannagar, Kolkata- 700091., Tele Fax: 033-23345199, 23213261, www.twbcros.org
65. COUNCIL OF UNIVERSAL BUDDHIST UNIVERSITY, NAGPUR, MAHARASHTRA ,Mobile No : 09923970110, 09326299988, 074, 7227415, <http://www.buddhistuniversity.org>
66. ODISHA STATE BOARD OF MADRASA EDUCATION, Urdu Bhavan, Qr. No. 3R/1, Unit-IX (Flat) Bhubaneswa, -751022,
67. WEST BENGAL STATE COUNCIL OF TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION, & SKILL DEVELOPMENT (WBSCT&VE&SD), Karigori Bhavan, 5th floor, Plot-B/7, Action Area-III, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700160, www.wbscvet.nic.in
68. BOARD OF OPEN SCHOOLING & SKILL EDUCATION (BOSSE), Nh-10 Near EBI Bank, M.P. Golai, Tadong, Gangtok-737102., Website: bosse.ac.in
69. BHARTIYA SHIKSHA BOARD, Patanjali Yogpeeth, Phase-2 Bah, drabad,, Haridwar-249405 (Uttarakhand)